फिल्म शूटिंग के दौरान पालना की जाने वाली शर्तेः–

1. लाईसेंसधारी कोई ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे जो रक्षित स्मारक के किसी भाग तथा उससे संलग्न दूब और उद्यानों को किसी भी प्रकार की क्षति या जोखिम में डाल दें।
2. स्मारक के किसी भाग पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य पदार्थ जैसे पानी, तेल इत्यादि नहीं लगाया जायेगा।
3. विद्युत शक्ति के लिए विद्युत उत्पादन यन्त्र जहां आवश्यकता हो, स्मारक तथा संलग्न दूब और उद्यान से दूर लगाये जायेंगें।
4. शूटिंगकर्ता द्वारा स्मारक पर कार्य करने वालों या अन्य किसी व्यक्ति से असभ्य व्यवहार या शोर नहीं किया जायेगा।
5. कार्यवाही में सुविधा के लिए थोड़े समय के लिए भी स्मारक या उसके किसी भाग को जन साधारण के लिए कार्यवाही के दौरान आपकी सुविधा के लिए ना तो बन्द किये जाने की ओर ना ही स्मारक को सामान्य समय से पहले खोलने की प्रार्थना की जा सकेगी।
6. ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी जो स्मारक के दर्शकों के स्वच्छन्द आवागमन में बाधा डालें।
7. शूटिंग दल के प्रत्येक सदस्य को स्मारक में निःशुल्क प्रवेश और सवारी ले जाने की अनुमति होगी, जहां दर्शकों से कोई फीस नहीं ली जायेगी।
8. पुरातत्व विभाग के किसी कर्मचारी से यह आशा नहीं की जायेगी कि वह ऐसे कर्मचारियों द्वारा दर्शकों की ओर दिये जाने वाले सामान्य ध्यान से अधिक कोई सहायता दें।
9. लाईसेंसधारी राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु नियम 1968 के नियम 3 से 8 के प्रावधानों का पालन करेंगा।
10. ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी जो स्मारक में वर्तमान रूढ़िगत नियमों को तोड़ने अथवा उसका (स्मारक) ऐसे किसी प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं किया जायेगा जो उसके स्वरूप में प्रसंगत हो।
11. ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी, जिससे लोक भावना पर आघात की संभावना हो।
12. उक्त नियम उन सद्भावी दर्शकों पर लागू होंगें जिसके पास 8 मिमि. के सिने कैमरें हो जिनके लिये आधार की आवश्यकता नहीं और जो रिकार्ड फिल्म लेने के साधारण प्रायोजनार्थ स्मारक का फिल्मांकन करना चाहते हैं और स्मारक को किसी दृश्य के भाग के रूप में प्रयुक्त करने का जिनका कोई अभिप्राय न हों।
13. स्मारक परिसर में युद्ध, आगजनी, विस्फोट, धुऐं व घोड़े आदि किसी भी पशु को दौड़ाने के दृश्य, नग्न, अर्द्धनग्न, अश्लील, भोंड़ें आपत्तिजनक हावभाव व परिधान के दृश्य तथा स्मारक की गरिमा या जनमानस की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवाद आदि कतई नहीं फिल्माऐं जा सकेंगे। पुरूष एवं महिला मॉडल्स का उपयोग किये जाते समय उनके भी किसी प्रकार के आपत्तिजनक दृश्य नहीं फिल्माऐं जावेंगे। स्मारक में पशु नहीं ले जा सकेंगे।
14. उक्त फिचर फिल्म/टी.वी. डॉक्यूमेन्ट्री/विडियो फिल्म/स्टील फोटोग्राफी के दौरान स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावे और फिर भी यदि कोई क्षति हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्रधारक/फिल्म निर्माता की होगी। और ऐसी क्षति का पूरा हर्जा/खर्जा फिल्म निर्माता को देना होगा। प्रतिभूति राशि जो जमा की गई शूटिंग से स्मारक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने पर संबंधित कार्यालय से इस आशय की लिखित सूचना मिलने पर अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
15. नियमों के अन्तर्गत लाईसेंस रद्द किये जाने की दशा में फीस या उसके किसी भाग को वापिस लौटाये जाने के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. यद्यपि किन्हीं परिस्थितियों में कोई दल, लाईसेंस की मंजूरी के लिये पूर्व प्रस्तुत आवेदन में निर्दिष्ट तारीख को स्मारक पर कार्यवाही करने में विफल रहे अथवा वह उस अवधि तक जिसके लिये फिस पहले जमा करायी जा चुकी है। स्मारक को प्रायोजित रखना नहीं चाहे (स्मारक में एक बार शूटिंग प्रारम्भ होने के पश्चात्) तो दोनों में से किसी भी दशा में फीस या उसका कोई भाग वापिस नहीं किया जायेगा।
17. परन्तु शर्त यह है कि उक्त नियम 3 में अन्तर्विष्ट निशेधों का पालन किया जायेगा तथा स्मारक के अन्त भाग में कृत्रिम प्रकाश (जिसमें स्फुर सरमालीन यंत्र सम्मिलित है) के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
18. शूटिंग की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि विश्वव्यापी महामारी व्याप्त है अतः शूटिंग के दौरान केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड–19 सम्बन्धी दिशा–निर्देशों एवं निर्णयों तथा रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जावेगी।